

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम.....  
वायतु

विरधाराम बनाम भारखवाम वर्मा

किस्म मुकदमा 200 वायतु नं. 52/19 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>विरधाराम विभा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>25/2/19</u> को पेश हो।</p> <p><u>सहायक कलक्टर (SDO)</u> <u>वायतु</u></p>	
25/2/2019	<p><u>प्रार्थी वादिका उपर/विपार्थीगण</u></p> <p><u>के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त करके</u></p> <p><u>शामिल पत्रावली दिनांक 27/03/2019</u></p> <p><u>वाकफुद तामिल अहकाम/क्रीमिन पीरामीट</u></p> <p><u>आधिकारी दिनांक 27/03/2019 के</u></p> <p><u>संबंध में मिशन इलका लोक</u></p> <p><u>अहकाम दिनांक 27/03/2019 के</u></p> <p><u>पेश हो / अ</u></p>	



27/3/19

प्राची वडिल इपु / डिजायनिंग वाकपुड  
मुचग डे अडु / क्रीमान फीसानी अधिकारी  
डिगग कार्या नं ज्यस्त लोरे से ठिरेल  
इस्तवा होकर दिनांक 28/5/19 को  
पेश हो।

राख हुकम  
19/6/19

28/5/19

प्राची वडिल इपु / डिजायनिंग वाकपुड  
मुचग डे अडु / क्रीमान फीसानी अधिकारी  
डिगग कार्या नं ज्यस्त लोरे से ठिरेल  
इस्तवा होकर दिनांक 03/7/19 को  
पेश हो।

7/7/19

प्राची वडिल इपु / डिजायनिंग वाकपुड  
मुचग डे अडु / क्रीमान फीसानी अधिकारी  
डिगग कार्या नं ज्यस्त लोरे से ठिरेल  
इस्तवा होकर दिनांक 21/10/19 को  
पेश हो।

21/10/19

प्राची वडिल इपु / डिजायनिंग वाकपुड  
मुचग डे अडु / क्रीमान फीसानी अधिकारी  
डिगग कार्या नं ज्यस्त लोरे से ठिरेल  
इस्तवा होकर दिनांक 23/12/19 को  
पेश हो।

23/12/19

प्राची वडिल इपु / डिजायनिंग वाकपुड  
मुचग डे अडु / क्रीमान फीसानी अधिकारी  
डिगग कार्या नं ज्यस्त लोरे से ठिरेल  
इस्तवा होकर दिनांक 19/2/2020 को  
पेश हो।

साथ में  
19/02/2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही भय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2020	<p>प्राप्ति करील उपस्थित। विप्राप्यगिण काकुरी तामिल कडु उपस्थित। न्यायालय समय तीन बजे के बाद लगाई गई कौलिय कावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्राप्यगिण स्वयं आ उनही कोर्ट के डोर अधिवक्ता उपस्थित नही हुआ लियेजा विप्राप्यगिणों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्ट्री कमल के कारे जाले है। प्राप्ति के अधिवक्ता ही एडवोकेट कथन सुनी गई प्राप्ति के अधिवक्ता डायर बालपा रीप्राप्ति व विप्राप्यगिणों के प्यारोती प्येल सेव सेठ भाये डुर है। प्राप्ति व विप्राप्यगिणों के प्येलो के मध्य जो डुरानी माठे व ठो भाये डुर धू जो वर्तमान में अधिवक्ता ही कजह से विधर गये है। जिस डायर प्राप्ति के कथन प्येलो ही सीमाको हा लगे जान नही है वा रडा है। कथित होने पर विप्राप्यगिण प्राप्ति के प्यारो- डारी प्येलो के डालत डर लेने है। इस डायर प्राप्ति को कथन प्यारोती प्येलो ही पन्नी नेप्यमकनी डवाने कौबडु है। इसलिए प्राप्ति डा नेप्यमकनी कौबेन डकडार विभा जाडर नेप्यमकनी माडेवा विभा जाणे।</p> <p>कतः प्राप्ति अधिवक्ता के निर्देशन पर प्राप्ति डा नेप्यमकनी कौबेन स्वयंसा विभा जाडर लडसीलाल वायडु डो डमिशन व सम्बधित डू प्रमि- लेष्य निरिडु डो सडापडु डमिशन निपुन्त विभा जाडर कौडेवा विभा जाला है कि प्राप्ति स्वयंसा कथने अधिवक्ता सडापडु डमिशन के प्राप्ति के प्यारोती प्येलो ही पन्नी नेप्यमकनी माठे पर डमिशन शुल्ड जमा- डरडर डरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाकिल पञ्जावली ही पञ्जावली जेसल शुमार दोडर डर्ज नम्बर से डम ही डायिलर डाला है।</p>	<p>19.2.2020</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 19/02/2020

क/वाद/2019/164

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

विरधाराम पुत्र नैनाराम जाति जाट  
निवासी चौखला

भारूराम पुत्र मानाराम वगैरा  
निवासी चौखला

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 52.../2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 16.07 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमाक/वाद/2020/165 + 168

दिनांक:- 19/02/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विरधाराम पुत्र नैनाराम
4. विप्रार्थीगण भारूराम पुत्र मानाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

19.2.2020  
उपखण्ड अधिकारी बायतु